भारत सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
आंध्रप्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद
'डी' ब्लॉक, 9 वीं मंजिल, आयकर शिखर
10-2-3, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद - 500 004

GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad
'D' Block, 9th Floor, IT Towers,
10-2-3, A.C.Guards, Hyderabad – 500 004

फा.सं.प्रमुआआहैद./राभा/6/प्र.कर.राभाकास/2022-23 दिनांक : 06.10.2022

सेवा में,

1. मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद/ विजयवाड़ा / विशाखापट्टणम
   CCIT , Hyderabad/ Vijaywada/ Vishakhapatnam
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे.), हैदराबाद/ DGIT (Inv.), Hyderabad
3. प्रधान आयकर आयुक्त - 1 व 4, हैदराबाद / Pr. CIT-1 & 4, Hyderabad
4. आयकर आयुक्त (आईटीएटी - 1 व 2), हैदराबाद / CIT (ITAT – 1 & 2), Hyderabad
5. आयकर आयुक्त (टीडीएस), हैदराबाद / CIT (TDS), Hyderabad
6. आयकर आयुक्त (ऑडिट), हैदराबाद / CIT (Audit), Hyderabad
7. आयकर आयुक्त (आईटीएटी), विशाखापट्टणम / CIT (ITAT), Vishakhapatnam

विषयः- प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वी बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने के संबंध में।

संदर्भः- फा.सं.22(118)/रा.भा.प्र./प्र.कर.रा.भा./कार्या.स.बैठक/2022-23/1602-93 दिनांक 04.10.2022

*****

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वी बैठक का कार्यवृत्त की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्नित करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

भवदीय,

सु. [signature]

(सुनील कुमार विभूते)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्या. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

संलग्नक: यथोपरि ।

आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा)
Directorate of Income Tax (Examination and Official Language)
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ Ministry of Finance, Department of Revenue,
पांचवीं मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस/ 5th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Circus,
नई दिल्ली/ New Delhi - 110001
दूरभाष: / Tele: 011-23412271, 23414557(Fax)

फा.सं. 22(118)/रा.भा.प्र./प्र.कर.रा.भा.कार्या.समि.बैठक/2022-23/1602-13 दिनांक : 04.10.2022

सेवा में,

माननीय सदस्य (प्रशासन), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली ।
प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण ।
सभी मुख्य आयकर आयुक्त/ आयकर महानिदेशक ।

विषय : प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वीं बैठक का कार्यवृत्त -

महोदया/महोदय,

प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वीं बैठक प्रधान आयकर महानिदेशक (मा.सं.वि.), नई दिल्ली की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से आयोजित हुई थी । इस बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है ।

समिति के माननीय सभी सदस्यो और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को सूचित करवाएं एवं संबंधित मदों / निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करवाकर अनुपालन रिपोर्ट, दिनांक 20/11/2022 तक ई-मेल/फैक्स/स्पीड पोस्ट से इस निदेशालय को भिजवाने की कृपा करें ।

भवदीय,

(डॉ. एन. एस. सिरोही)
उप निदेशक (रा.भा.) (मुख्या. कार्या.)

संलग्न : यथोपरि ।

प्रतिलिपि :

सभी उप एवं सहायक निदेशक (रा.भा.) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस बैठक में लिए गए मदों / निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

उप निदेशक (रा.भा.) (मुख्या. कार्या.)

श्रीमती वर्मा
कृपया परिचालित करवाएं ।
04/10/2022

प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वीं बैठक
दिनांकः 21 सितम्बर, 2022 - नई दिल्ली

कार्यवृत्त

प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118वीं बैठक दिनांक 21.09.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, नार्थ ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। यह बैठक मूलतः सुश्री अनुजा सारंगी, माननीय सदस्य (प्रशासन), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में की जानी थी, लेकिन किन्ही अपरिहार्य कारणों से सदस्य (प्रशासन) महोदया इस बैठक में शामिल नहीं हो पाईं। उनकी अनुमति से, डॉ साधना शंकर, प्रधान आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में डॉ. सुभाष चन्द्रा, अपर महानिदेशक (परीक्षा एवं राजभाषा) महोदय के साथ-साथ डॉ. एन.एस.सिरोही, उप-निदेशक (रा. भा.) (मु. कार्या.) तथा श्री देशबंधु उप-निदेशक (रा भा) (मु प्रशा) भी उपस्थित रहे। समिति के शेष सदस्यों ने अपने-अपने कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

2. बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे विभिन्न क्षेत्रों के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों / प्रधान आयकर महानिदेशकों तथा प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सूचित किया कि इस बैठक में जून 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों पर चर्चा की जाएगी।

2.2 उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को बताया कि यह बैठक हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जा रही है। सभी अपने-अपने कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। दिनांक 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत, गुज़रात में द्वितीय अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है।

2.3 इसके अतिरिक्त, उन्होंने समिति को यह भी जानकारी दी कि उपनिदेशक (रा भा) के खाली पदों को भरने के लिए, दिनांक 24.08.2022 को डी पी सी आयोजित करवा ली गई है और शीघ्र ही तत्संबंधी प्रोन्नति आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।

2.4 साथ ही, दिनांक 22.07.2022 को दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करते हुए, सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है।

-2-

2.5 प्रतिनियुक्ति पर सहायक निदेशक (रा भा) के पदों के बारे में उन्होंने कहा कि, प्राप्त आवेदनों की जांच कर ली गई है और उन आवेदनों में पाई गई कमियों को दूर करने का कार्य प्रगति पर है। कमियों को दूर करने का चरण पूरा होते ही इसपर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2.6 साथ ही वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के रिक्त पदों के विषय में माननीय अध्यक्ष महोदया ने सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भर्ती नियमों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों के पात्र कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने की कार्रवाई करें।

3 तत्पश्चात डॉ. सुभाष चन्द्रा, अपर महानिदेशक (परीक्षा एवं राजभाषा) महोदय ने बैठक में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे समिति के माननीय सदस्यों का पुनः स्वागत किया और समिति को सहर्ष यह अवगत करवाया कि, सभी कार्यालयों ने जून 2022 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय पर भेजी है, जिससे कि सम्पूर्ण आयकर विभाग की समेकित रिपोर्ट, वित मंत्रालय को समय पर भिजवाई गई।

3.2 उन्होंने, समिति को यह भी बताया कि पिछली तिमाही की तुलना में सभी कार्यालयों ने राजभाषा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। 'क' क्षेत्र में पटना ने 94.7%, 'ख' क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी ने 93.4% तथा 'ग' क्षेत्र में बंगलूरू ने 70.6% हिन्दी में मूल पत्राचार किया है, जो सराहनीय है। सभी कार्यालयों ने हिन्दी टिप्पण लेखन में भी सराहनीय कार्य किया है।

3.3 वार्षिक कार्यक्रम-2022-23 में निर्धारित लक्ष्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए, महोदय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सभी संवर्ग नियंत्रक प्रत्येक वर्ष, कम से कम 25% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

3.4 महोदय ने अवगत कराया कि प्रतिनियुक्त से सहायक निदेशक (रा.भा.) के पदों को भरने के मामले में प्राप्त कुल 39 आवेदनों की जांच कर ली गई है। प्राप्त आवेदनों मे पाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों/ आवेदकों को लिखा गया है। कमियाँ दूर होते ही, यह प्रस्ताव यू. पी. एस. सी. को भेज दिया जाएगा। तदुपरांत अपर महानिदेशक (परीक्षा एवं राजभाष) महोदय ने डॉ निरंजन सिंह सिरोही, उप निदेशक (रा.भा.) को कार्यसूची के अनुसार बैठक का संचालन करने का निदेश दिया।

-3-

4. उप निदेशक (रा.भा.) ने पुनः स्वागत करते हुए, बताया कि समिति की पिछली बैठक दिनांक 28.06.2022 को माननीय सदस्य (प्रशासन), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसका कार्यवृत्त दिनांक 18.07.2022 को सभी सदस्यों/ कार्यालयों को भिजवा दिया गया था । किसी भी सदस्य / कार्यालय की ओर से कार्यवृत्त में संशोधन, आपत्ति अथवा सुझाव का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदया एवं सभी सदस्यों की अनुमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई ।

4.2 तत्पश्चात उप निदेशक (रा.भा.) ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर मदवार अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट का विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने मार्च-2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों के साथ-साथ जून-2022 को समाप्त तिमाहियों के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा भेजे गए मूल पत्रों के आंकडों की स्थिति और क्षेत्र-वार हिंदी पत्राचार के प्रतिशत और हिंदी में अधिकतम/ न्यूनतम पत्राचार करने वाले क्षेत्रों का विवरण भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

4.3 इसके अतिरिक्त हिन्दी पखवाडा -2022 के दौरान दिनांक 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उल्लेख करते हुए, राजभाषा की महता को रेखांकित करते हुए, इस बात को उजागर किया गया कि आने वाले समय में हिन्दी न केवल राजभाषा के रूप में ही जानी जाएगी; बल्कि इसका विस्तार व वर्चस्व जनसंचार, अदालतों, मेडिकल, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा।

4.4 इसके बाद समिति के समक्ष जून 2022 को समाप्त तिमाही के आंकडों पर विस्तृत चर्चा हुई।

- गत तिमाही की अपेक्षा इस तिमाही में हिन्दी के मूल पत्राचार में वृद्धि हुई है; सभी क्षेत्रों ने हिन्दी टिप्पण से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया है।
- साथ ही, सभी कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट समयावधि के अंदर ही प्राप्त हुई है।
- राजभाषा नियम 5 तथा धारा 3(3) का सभी कार्यालयों में अनुपालन हो रहा है।
- सभी कार्यालयो में तिमाही के दौरान हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

4.5 इसके उपरांत कार्यसूची की मद सं. 7 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 की विभिन्न मदों का संक्षिप्त विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सभी सदस्यों से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करवाने का अनुरोध किया गया।

5 तदुपरांत बैठक में चर्चा एवं विचार-विमर्श और प्रस्तुत अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

5.1 यह हर्ष का विषय है कि सभी कार्यालयों ने 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए हिंदी प्रगति रिपोर्ट समय से भिजवाई है। अध्यक्ष महोदया ने निदेश दिया कि सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय, आगामी तिमाहियों में भी अलग-अलग क्षेत्रों की समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट, हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सहित, समय से ही भेजना सुनिश्चित करें, ताकि पूरे विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट यथासमय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

5.2 बैठक में चर्चा के दौरान इस बात पर भी विचार हुआ कि संसदीय समिति के निरीक्षणों के दौरान, निरीक्षण प्रश्नावली में दिए गए आंकड़े, कार्यालय के अभिलेख पर आधारित नहीं होते। अध्यक्ष महोदया ने निदेश दिया कि संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रश्नावली बहुत ध्यानपूर्वक भरी जानी चाहिए, जिसमें कार्यालय अभिलेख के अनुसार ही तथ्यात्मक आंकड़े भरे जाएँ।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

5.3 सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रिक्त पदों को भर्ती नियमों के अनुसार, पात्र कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने की कार्रवाई करवाएं।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

5.4 नव पदोन्नत उप-निदेशकों (रा भा) के प्रोन्नति आदेश यथाशीघ्र जारी किए जाएँ और प्रतिनियुक्ति पर सहायक निदेशक (रा भा) की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जाए।

{कार्रवाई- आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा) }

5.5 सभी कार्यालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित वर्ष 2022-23 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित विभिन्न मदों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरा प्रयास करें।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

5.6 सभी कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाए, और सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी तत्संबंधी रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करें।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

5.7 संसदीय समिति अपने निरीक्षणों के दौरान, अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा विषयक निरीक्षणों के बारे में भी गहन पूछताछ करती है। अतः सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में से कम से कम 25% कार्यालयों का राजभाषा विषयक निरीक्षण करें तथा राजभाषा के उतरोत्तर प्रगति की दिशा में कार्रवाई करें।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

5.8 फाईलों पर यथासंभव टिप्पणयाँ हिंदी में ही लिखी जाएं। प्रशासनिक मामलों में तो पूरी तरह से हिंदी में ही टिप्पणयाँ लिखी जाएं।

(कार्रवाई- सभी संवर्ग नियंत्रक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशक)

6 तदुपरांत अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों / आयकर महानिदेशकों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया और अनुरोध किया कि बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई है, उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

-6-

7. इसके पश्चात अपर महानिदेशक (परीक्षा एवं राजभाषा) महोदय ने अध्यक्ष महोदया का तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े देश के सभी माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों/ प्रधान आयकर महानिदेशकों का धन्यवाद किया । उन्होंने आयकर महानिदेशालय (पद्धति) एवं व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों का तथा राजभाषा प्रभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया । तत्पश्चात अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक संपन्न हुई ।

माननीय सदस्य (प्रशासन), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं समिति की अध्यक्ष महोदया के अनुमोदन से जारी ।

(निमिषा सिंह)
अपर महानिदेशक (परीक्षा एवं राजभाषा)
एवं सदस्य
प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति